



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-118

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 277814 दिनांक 16/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Shilpa Singh S/o Onkar Singh	श्री नवन किशोर गुप्ता एचयूएफकर्ता नवल किशोर गुप्ता पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश गुप्ता	28	138.89 SQ. YARD	Private	HARITWAL CITY Sector/Block- C	Name Transfer	आवेदिका शिल्पा सिंह पुत्री श्री ऑंकार सिंह द्वारा निजी खातेदारी की योजना हरितवाल सिटी के आवासीय भूखण्ड संख्या सी-28 क्षेत्रफल 138.89 व0ग0 का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 153 दिनांक 17.05.2013 के द्वारा श्री नवन किशोर गुप्ता एचयूएफकर्ता नवल किशोर गुप्ता पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश गुप्ता के नाम जारी किया गया था। लीजधारक श्री नवन किशोर गुप्ता एचयूएफकर्ता नवल किशोर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गुप्ता पुत्र स्व0
श्री ओम प्रकाश
गुप्ता द्वारा
आवेदित भूखण्ड
को पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
17.11.2021 के
माध्यम से श्री
राजेश कुमार गर्ग
पुत्र श्री हरी लाल
गर्ग एवं श्री केशव
माहेश्वरी पुत्र श्री
अशोक माहेश्वरी
को विक्रय किया
गया है। तत्पश्चात
राजेश कुमार गर्ग
एवं श्री केशव
माहेश्वरी द्वारा
आवेदित भूखण्ड
को पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक
21.07.2025 के
माध्यम से
आवेदिका शिल्पा
सिंह पुत्री श्री
ओंकार सिंह को
विक्रय किया गया
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Shilpa Singh S/o Onkar Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिथियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

